प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 19.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा मात्र 08 के अन्दर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 17,000/- 17,000/- रु0 के अर्थदंड से के अर्थदंड से दण्डित कराया गया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना जसवन्तनगर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 17,000/- 17,000/- रु0 अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.04.2024 को वादी मुलायम सिंह पुत्र मुन्शीलाल निवासी ग्राम सिरसा की मडैया थाना जसवन्तनगर इटावा द्वारा थाना जसवन्तनगर पर अपने 08 वर्षीय नाबालिक पुत्र ओमजी उर्फ लकडो के गुम हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, **सूचना पर तत्काल थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 62/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 19.04.2024 को उक्त बालक का मृत शरीर ग्राम सिरसा की मढ़ैया के पास बीहड़ जंगल में मिला था जिसके आधार पर मु0अ0सं0 62/2024 में धारा 363/302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी थी।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरी0 कपिल दुबे प्रभारी थाना जसवन्तनगर इटावा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम पैरोकार का0 मनीष कसाना एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री मंजू शाक्य द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग मे आज दिनांक 19.12.2024 को **मा0 न्यायालय ADJ-5 इटावा** द्वारा **अभियुक्तगण दीनानाथ उर्फ मानसिंह पुत्र छैल बिहारी एवं अभियुक्त गंगा सिंह पुत्र छैल बिहारी को आजीवन कारावास एवं एवं 17,000/- 17,000/- रु0 अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **दीनानाथ उर्फ मानसिंह पुत्र छैल बिहारी निवासी प्रेम की मड़ैया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा**
2. **गंगा सिंह पुत्र छैल बिहारी निवासी प्रेम की मड़ैया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।**